



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 697]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2010/चैत्र 22, 1932

No. 697]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2010/CHAITRA 22, 1932

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2010

का.आ. 830(अ).—केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 9 के उप-नियम (2), नियम 12 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) और नियम 24 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एतद्वारा केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली के नियम 5, 9(2), 12(2) और 24 में संदर्भित अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

भाग-II केन्द्रीय सिविल सेवाएं, समूह ख

डाक विभाग/ दूरसंचार विभाग में भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त संवर्ग ख /अन्य भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त कार्यालयों के समूह ख के संस्वीकृत पदों के संदर्भ में नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी

क्र० सं०	सेवा का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	दंडित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और दण्ड, जो ये लगा सकते हैं (सीसीएस सीसीए नियमावली के नियम 11 की मद संख्याओं के संदर्भ में)		अपीलीय प्राधिकारी
			प्राधिकारी	शास्तियां	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	(i) भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त संवर्ग ख के सभी पद (ii) भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त कार्यालयों / इकाईयों में संस्वीकृत अन्य समूह ख के सभी पद	सदस्य (वित्त) दूरसंचार आयोग	सदस्य (वित्त) दूरसंचार आयोग	सभी	राष्ट्रपति
2.	(i) संचार लेखा नियंत्रक (सीसीए) कार्यालयों में भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त संवर्ग ख के सभी पद (ii) संचार लेखा नियंत्रक (सीसीए) कार्यालयों में संस्वीकृत अन्य समूह ख के सभी पद	सदस्य (वित्त) दूरसंचार आयोग	(क) प्रधान संचार लेखा नियंत्रक (ख) संचार लेखा नियंत्रक अथवा (ग) दूरसंचार विभाग में जहां प्रधान नियंत्रक / संचार लेखा नियंत्रक का कोई पद नहीं है, वहां संचार लेखा नियंत्रक या संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक	(i) से (iv)	सलाहकार (वित्त) दूरसंचार विभाग

3.	(i) दूरसंचार मुख्यालय / एनआईसीएफ में भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त संवर्ग ख के सभी पद (ii) एनआईसीएफ में स्वीकृत समूह ख के सभी पद	सदस्य (वित्त) दूरसंचार आयोग	(क) सलाहकार (वित्त), दूरसंचार विभाग (ख) उपमहानिदेशक (एसईए के प्रभारी) (ग) एनआईसीएफ के प्रमुख	(i) से (iv)	(क) सदस्य(वित्त) दूरसंचार आयोग (ख) और (ग) सलाहकार (वित्त) दूरसंचार विभाग
4.	(i) डाक लेखा विग में भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त संवर्ग ख के सभी पद (ii) डाक लेखा इकाइयों में संस्वीकृत अन्य सभी समूह ख के पद	सदस्य (वित्त) दूरसंचार आयोग	(क) वित्तीय सलाहकार (डाक) (ख) उपमहानिदेशक (डाक लेखा और वित्त) (ग) डाक लेखा इकाइयों में महा प्रबंधक (वित्त) (घ) जहां महाप्रबंधक का पद नहीं है, वहां डीएपी	(i) से (iv)	(क) सदस्य (वित्त) दूरसंचार आयोग (ख) वित्तीय सलाहकार, डाक (ग) वित्तीय सलाहकार, डाक (घ) उपमहानिदेशक (डाक लेखा और वित्त)

भाग-III केन्द्रीय सिविल सेवाएं, समूह ग

दूरसंचार विभाग में डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त संवर्ग ग/अन्य डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त कार्यालयों के समूह ग के संस्वीकृत पदों के संदर्भ में नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी

क्र० सं०	सेवा का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियां आरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और शास्तियां जो ये आरोपित कर सकते हैं (सीसीएस सीसीए नियमावली के नियम 11 की मद संख्याओं के संदर्भ में)	अपीलीय प्राधिकारी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	(i) डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह ग (ii) संचार लेखा नियंत्रक कार्यालयों में संस्वीकृत समूह ग के अन्य पद	(क) प्रधान संचार लेखा नियंत्रक अथवा (ख) संचार लेखा नियंत्रक अथवा (ग) दूरसंचार विभाग में जहां प्रधान संचार लेखा नियंत्रक/संचार लेखा नियंत्रक का कोई पद नहीं है, वहां संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक	(क) प्रधान संचार लेखा नियंत्रक (ख) संचार लेखा नियंत्रक अथवा (ग) दूरसंचार विभाग में जहां प्रधान संचार लेखा नियंत्रक/संचार लेखा नियंत्रक का कोई पद नहीं है, वहां संयुक्त संचार लेखा नियंत्रक	सभी	(क) सलाहकार (वित्त), दूरसंचार विभाग (ख) प्रधान संचार लेखा नियंत्रक अथवा सलाहकार (वित्त), दूरसंचार विभाग (ग) सलाहकार (वित्त), दूरसंचार विभाग
2.	(i) दूरसंचार विभाग मुख्यालय और एनआईसीएफ में डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह ग (ii) एनआईसीएफ में संस्वीकृत समूह ग के अन्य पद	(क) उपमहानिदेशक (एसईए के प्रभारी) (ख) एनआईसीएफ के प्रमुख	(क) उपमहानिदेशक (एसईए के प्रभारी) (ख) एनआईसीएफ के प्रमुख	सभी	सलाहकार (वित्त), दूरसंचार विभाग

टिप्पणी : उपर्युक्त संकल्प के तहत जारी संशोधन 28 अगस्त, 2009 के राजपत्र अधिसूचना संख्या 1350 के अनुक्रम में तथा उपर्युक्त सभी पदों के बारे में इस मामले के संबंध में विगत में जारी सभी संदर्भों के अतिक्रमण में है।

[फा. सं. 27-03/2010/सीई-11]

पी. के. सिन्हा, उप-महानिदेशक (एफईबी)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

RESOLUTION

New Delhi, the 9th April, 2010

S.O. 830(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following amendments in the Schedule referred to in the Rules 5, 9(2), 12(2), and 24 of the CCS CCA Rules :

Part II Central Civil Services, Group 'B'

Appointing Authority, Disciplinary Authority and Appellate Authority in r/o IP&TAFS Group 'B'/ other Group 'B' posts sanctioned in IP&T Accounts and Finance offices/units in DOP/DOT"

Sl. No	Description of service	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in Rule 1 of CCS CCA Rules)		Appellate authority
			Authority	Penalties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(i) All IP&TAFS Group 'B' posts (ii) All other Group 'B' posts sanctioned in IP&T Accounts and Finance offices/units in DOP/DOT	Member(F) Telecom Commission	Member(F) Telecom Commission	All	President
2	(i) All posts of IP&TAFS Group 'B' in CCA offices (ii) All other Group 'B' posts sanctioned in CCA offices	Member(F) Telecom Commission	a) Pr. Controller of Communication Accounts, b) Controller of Communication Accounts or Joint Controller of Communication Accounts where there is no Principal Controller/Controller of Communication Accounts,	(i) to (iv)	Advisor (F), DOT
3	(i) All IP&TAFS Group 'B' in DOT HQ/NICF (ii) All other Group 'B' posts sanctioned in NICF	Member(F) Telecom Commission	a) Advisor(F), DOT b) DDG (in charge of Staff & Establishment of Accounts cadre), c) Head of NICF	(i) to (iv)	a) Member (Finance), Telecom Commission (b) & (c) Advisor (F), DOT
4	(i) All IP&TAFS Group 'B' posts in Postal Accounts Wing. (ii) All other Group 'B' posts sanctioned in Postal Accounts Wing	Member(F) Telecom Commission	a) Financial Advisor, (Posts), b) DDG (Postal Accounts & Finance), c) GM(F) in Postal Accounts units, d) DAP where there is no GM(F)	(i) to (iv)	a) Member (Finance), Telecom Commission, b) Financial Advisor, Posts c) Financial Advisor, Posts d) DDG (Postal Accounts & Finance)

Part III Central Civil Services, Group 'C'
"Appointing Authority, Disciplinary Authority, and Appellate Authority in r/o P&TAFS Group 'C'/ other Group 'C'
posts sanctioned in P&T Accounts and Finance offices/units in DOT"

Sl. No.	Description of service	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in Rule 1 of CCS CCA Rules)		Appellate authority
			Authority	Penalties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(i) P&TAFS Group 'C' (ii) Other Group 'C' posts sanctioned in CCA offices	a) Principal Controller of Communication Accounts or b) Controller of Communication Accounts or c) Joint Controller of Communication Accounts in Department of Telecommunication where there is no Pr. CCA/Controller of Communication Accounts	a) Pr. Controller of Communication Accounts, b) Controller of Communication Accounts or c) Joint Controller of Communication Accounts in Department of Telecom where there is no Pr. CCA/Controller of Communication Accounts	All	a) Advisor (F), DOT b) Principal Controller of Communication Accounts or Advisor (F), DOT c) Advisor (F), DOT
2	(i) P&TAFS Group 'C' in DOT HQ and NICF (ii) Other Group 'C' posts sanctioned in NICF	a) DDG (in charge of SEA) b) Head of NICF	a) DDG (in charge of SEA) b) Head of NICF	All	Advisor (F), DOT

Note: The amendment issued *vide* the above Resolution is in continuation of the Gazette Notification No. 1350 dated 28th August 2009 and in supersession of all previous references on this matter in respect of all the above posts.

[F. No. 27/03/2010/SEA-II]

P. K. SINHA, Dy. Director General (FEB)